Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 115: Interest on refund of amount paid for admission of appeal

Where an amount paid by the appellant under sub-section (6) of section 107 or sub-section (8) of section 112 is required to be refunded consequent to any order of the Appellate Authority or of the Appellate Tribunal, interest at the rate specified under section 56 shall be payable in respect of such refund from the date of payment of the amount till the date of refund of such amount.

धारा 115: अपील को ग्रहण करने के लिए संदत्त रकम के प्रतिदाय पर ब्याज

जहां अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) या धारा 112 की उपधारा (8) के अधीन संदत्त रकम का, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है, वहां धारा 56 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज ऐसे प्रतिदाय के संबंध में रकम के संदाय की तारीख से ऐसी रकम के प्रतिदाय की तारीख तक संदेय होगा।